तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.98/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामिलमें जारी
31.12.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी भैरुसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जी राठौड़, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म लक्की आईस कैण्डी, दापावास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही के वकील उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन, प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 06.5.2024 को फर्म लक्की आईस कैण्डी, दापावास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी भैरुसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जी राठौड़ से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ लक्की पेप्सी पैकिंग पाउच (आईसलोली) का नमूना संख्या S-2332, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःLS/668/Act/2024/704 दिनांक 21.5.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर शास्ति अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री सुर्यवीर सिंह आढ़ा उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 24.12.2024 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री आढ़ा की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी दापावास, पिण्ड़वाडा में मैसर्स लक्की आईस कैण्डी का व्यवसाय करता है तथा वह अपने उक्त फैक्ट्री पर आईसक्रीम, कैण्डी व पेप्सी पाउच (आइसलोली) बनाता है तथा प्रतिवादी द्वारा आईसलोली में किसी प्रकार की मिलावट नही की जाती है तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पुरा ध्यान रखा जाता है। प्रतिवादी की फैक्ट्री से आईसलोली का जो नमूना लिया गया था वह अमानक पाया गया है तथा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जो रिपोर्ट आई है उसमें केवल मात्र शुगर का लेवल नियत लेवल से कुछ अधिक बताया है जिसमें प्रतिवादी की कोई गलती नही है, क्योंकि कभी कभार आईसलोली बनाते समय भुल से शक्कर दो बार डाल दी जाती है जिससे कभी कभार भूल से शुगर की मात्रा अधिक आ जाती है। इसके अलावा प्रतिवादी ने उक्त आईसलोली में किसी प्रकार की मिलावट नही की है व खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य सामने नही आया है कि तथाकथित आईस लोली सेवन से स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव पड़ता है जो नमूना लिया गया है उसमें केवल मात्र शुगर की मात्रा अधिक आई है जो आईस लोली बनाते समय भूल से शुगर की मात्रा दो बार डालने से हुई है जिसमें प्रतिवादी की किसी प्रकार की बदनियती नही रही है। प्रतिवादी ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का कोई उल्लंघन नही किया है तथा वह भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा व पूर्ण सावधानी से आईसलोनी का उत्पादन करेगा। प्रतिवादी ....लगातार	

न्यायालय प्रा० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रा०. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.98/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो हुक्म की तामिलमें जारी
	एक छोटा सा व्यापारी है जो कस्बा पिण्डवाडा में छोटी सी आईस कैण्डी की फैक्ट्री चला कर अपना जीवीकोपार्जन करता है। प्रतिवादी का यह प्रथम अपराध है तथा पूर्व में इस प्रकार के अपराध में दोषी नही पाया गया है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 06.5.2024 को फर्म लक्की आईस कैण्डी, दापावास, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर प्रतिवादी प्रोपराईटर एवं विक्रेता भैरुसिंह पुत्र जसवन्तसिंह राठौड़ उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म लक्की आईस कैण्डी के निरीक्षण के दौरान लक्की आईस कैण्डी की दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु लक्की पेप्सी पैकिंग पाउच (आईसलोली) के लगभग 500 पीस (प्रत्येक 40 ग्राम) रखे हुए थे, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता भैरुसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जी राठौड़ को प्रपत्र 5ए में गवाह के समक्ष भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने फर्म लक्की आईस कैण्ड़ी की दुकान के अन्दर रखे हुए खाद्य पदार्थ लक्की पेप्सी पैकिंग पाउच (आईसलोली) में से लक्की पेप्सी पैकिंग पाउच (आईसलोली) के 48 पैकिंग पाउच (प्रत्येक 40 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 48/– (अक्षरे रुपये अड़तालीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता भैरुसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जी को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2332, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ लक्की पेप्सी पैकिंग पाउच आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता भैरुसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जी एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा लक्की पेप्सी पैकिंग पाउचों को चार भागों में करके चार पैकेट बनाये एवं चारों पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रम संख्या S-2332 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता भैरुसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जी राठौड़ व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता श्री दिलीप सिंह यादव व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट ★ सिरोही (राज०) ★

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.98/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो हुक्म की तामिलमें जारी

यादव के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को दिनांक 08.5.2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म लक्की आईस कैण्ड़ी, दापावास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी भैरुसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जी राठौड़ से खाद्य पदार्थ लक्की पेप्सी पैकिंग पाउच को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ लक्की पेप्सी पैकिंग पाउच के नमूना संख्या S-2332 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः LS/668/Act/2024/704 दिनांक 21.5.2024 में अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी भैरुसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जी राठौड़, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म लक्की आईस कैण्ड़ी, दापावास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत प्रतिवादी भैरुसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जी राठौड़, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म लक्की आईस कैण्ड़ी, दापावास, पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी भैरुसिंह पुत्र जसवन्तसिंह जी राठौड़ को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीा को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 31.01.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.